छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी—मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026 (फाल्गुन 26, 1947)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2024—25 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखेंगे।

(2) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2025—2026 के संदर्भ में तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिब्दी से भरदाकला के मध्य सिब्दी नाला में पुलिया का निर्माण नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री ललित चन्द्राकर, सदस्य, कामकाजी महिलाओं के लिये कार्यालयीन आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य, बीजापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केशकुतुल से ब्लॉक मुख्यालय भैरमगढ़ तक सड़क चौड़ीकरण एवं डामरीकरण करने,

(2) सुश्री लता उसेण्डी, सदस्य, जिला कोण्डागांव अंतर्गत —

(i) कोण्डागांव जिले में बी.एड. महाविद्यालय खोलने,

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोण्डागांव का 30 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम बड़ेबंजोड़ा में स्टापडेम निर्माण करने तथा

क्रमशः 2

(3) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, सदस्य, सामरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सामरी में अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास खोलने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

5. राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) राज्यपाल द्वारा सभा को संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु प्रेषित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 2 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2026–2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय
2 घंटे

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित–

मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	23	जल संसाधन विभाग
मांग संख्या	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	65	विमानन विभाग

क्रमशः 3

मांग संख्या 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मांग संख्या 77 सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय

निर्धारित समय
(4:बजे तक)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–1) विधेयक, 2026 (क्रमांक 1 सन् 2026) का *पुरःस्थापन करेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 16 मार्च, 2026

---

*मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्।